



नोटिस

एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि केनरा बैंक के शेयरधारकों की तेरहवीं वार्षिक सामान्य बैठक मंगलवार, 14 जुलाई 2015 को 3.30 बजे सभागृह - 1, निमहंस, कंवेन्सन सेंटर, होसूर मेन रोड, होम्बेगौडा नगर, बेंगलूरु - 560 029 में आयोजित की जाएगी, जिसका उद्देश्य निम्नांकित कारोबार का संचालन करना है:

1. यथा 31 मार्च 2015 को बैंक के लेखापरीक्षित तुलन पत्र, 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लाभ व हानि लेखे पर, तुलन पत्र व लेखों पर लेखा तथा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट द्वारा प्रावरित अवधि के लिए बैंक के कार्यों व क्रियाकलापों के संबंध में निदेशक मंडल की रिपोर्ट पर चर्चा अनुमोदन व अंगीकृत करना।
2. वित्तीय वर्ष 2014 -15 के लिए लाभांश घोषित करना।
3. निम्नांकित विशेष संकल्प पर विचार करना और यदि उचित पाया गया तो संशोधन सहित या रहित उसे पारित करना:

“संकल्प लिया जाता है कि” बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 (अधिनियम), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 (योजना) और केनरा बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियमावली 2000 के प्रावधानों के अनुसरण में तथा भारतीय रिजर्व बैंक (“आरबीआई”), भारत सरकार (“जीओआई”), भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (“सेबी”) और/या इस संबंध में अपेक्षित अन्य किसी प्राधिकरण के अनुमोदन, सहमति और मंजूरी के अधीन एवं ऐसे अनुमोदन प्रदान करने के लिए उनके द्वारा निर्धारित ऐसी शर्तों और उन पर संशोधनों के अधीन और जिनसे बैंक का निदेशक मंडल सहमत हो तथा भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी और प्रासंगिक अन्य सभी प्राधिकरणों द्वारा समय समय पर निर्धारित विनियमों अर्थात् सेबी (पूँजी निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2009 (आई सी डी आर विनियमावली)/दिशानिर्देशों, यदि कोई हो, के अधीन बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम 1992 और सभी अन्य लागू नियम तथा सभी संबद्ध प्राधिकारों के अधीन अधिसूचनाएं / परिपत्र और स्पष्टीकरण तथा उन स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किये गये सूचीकरण करार के अधीन, जहाँ बैंक के ईक्विटी शेयरों का सूचीकरण किया गया है, एतद द्वारा बैंक के शेयरधारकों की सहमति, बैंक के निदेशक मंडल (जिसे यहाँ इसके बाद “निदेशक मंडल” कहा जाएगा, जिस अभिव्यक्ति में, इस संकल्प द्वारा प्रदत्त अधिकार सहित अपने अधिकारों का प्रयोग करने हेतु बोर्ड द्वारा गठित की गयी

NOTICE

Notice is hereby given that the *Thirteenth Annual General Meeting* of the Shareholders of Canara Bank will be held on Tuesday, the 14th July, 2015 at 3.30 P.M. at Auditorium-1, NIMHANS CONVENTION CENTRE, Hosur Main Road, Hombegowda Nagar, Bengaluru – 560 029, to transact the following business:

1. To discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2015, Profit & Loss account for the year ended 31st March 2015, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.
2. To declare dividend for the financial year 2014-15.
3. To consider and if thought fit, to pass with or without modifications the following special resolution:

“RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (Act), The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (Scheme) and the Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000 as amended from time to time and subject to the approvals, consents, permissions and sanctions, if any, of the Reserve Bank of India (“RBI”), the Government of India (“GOI”), the Securities and Exchange Board of India (“SEBI”), and/or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the regulations viz., SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (ICDR Regulations) as amended up to date, guidelines, if any, prescribed by the RBI, SEBI, notifications/circulars and clarifications under the Banking Regulation Act, 1949, Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and all other applicable laws and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called “the Board” which shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute to exercise its powers



या आगे की जानेवाली कोई समिति भी शामिल है) को दी जाती है कि (इश्यू के ऐसे हिस्से को पक्का/प्रतिस्पर्धी आधार पर और यथा अनुमत व्यक्तियों की श्रेणियों के लिए आरक्षित करने के प्रावधान सहित) प्रस्ताव के दस्तावेज / नियमावली अथवा ऐसे किसी अन्य दस्तावेज के जरिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्मित दिशानिर्देशों के अनुसार सतत् या शोध्य या अशोध्य, ऐसे अधिमान शेयरों के प्रत्येक वर्ग को, इस प्रकार के अधिमान शेयरों के प्रत्येक वर्ग को जारी किए जाने की सीमा को और उन शर्तों एवं निबंधनों जिनके अधीन अधिमान शेयरों के प्रत्येक वर्ग जारी किए जा सकते हैं तथा / या अन्य अनुमत प्रतिभूतियाँ जो ईक्विटी में अंतरण के लिए सक्षम हो, ₹1500 करोड़ तक (यथा बोर्ड या बोर्ड की समिति द्वारा निर्धारितानुसार) जो वर्तमान ₹515.20 करोड़ की चुकता ईक्विटी शेयर पूंजी के साथ बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण व अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 3 (2ए) के अनुसार बैंक की निर्धारित प्राधिकृत पूंजी सीमा ₹3000 करोड़ के भीतर होगी या किसी संशोधन (यदि कोई हो) के अनुसार प्राधिकृत पूंजी की संवर्धित मात्रा तक जिसे भविष्य में इस प्रकार अधिनियमित किया जा सकता है कि केन्द्र सरकार के पास हमेशा बैंक की चुकता पूंजी 52% से कम नहीं होगी, जिसमें एक या अधिक सदस्यों, बैंक के कर्मचारियों, भारतीय नागरिकों, अनिवासी भारतीय ("एनआरआई") कंपनियों, निजी या सार्वजनिक, निवेश संस्थाओं, सोसाइटियों, न्यासों, अनुसंधान संगठनों, अर्ह संस्थागत खरीदारों ("क्यू आई बी") जैसे बैंक, वित्तीय संस्थाएं, भारतीय म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल फंड, विदेशी वेंचर कैपिटल निवेशकों, राज्य औद्योगिक विकास निगमों, बीमा कंपनियों, भविष्य निधियों, पेन्शन फंडों, विकास वित्तीय संस्थाओं, विदेशी संस्थागत निवेशकों ("एफआईआई") या अन्य इकाइयों, प्राधिकरणों अथवा मौजूदा विनियमों / दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के ईक्विटी शेयरों में निवेश करने के लिए प्राधिकृत किसी अन्य श्रेणी के निवेशकर्ताओं या बैंक द्वारा उचित समझे गए तरीके से इनमें से किसी का मिश्रण हो, बाजार मूल्य पर बढ़ा या प्रीमियम सहित होगी"।

"आगे संकल्प लिया जाता है कि ऐसे इश्यू, प्रस्ताव या आबंटन, अतिरिक्त आबंटन के विकल्प सहित या रहित सार्वजनिक इश्यू, साधारण इश्यू, कर्मचारी स्टॉक क्रय योजना, निजी प्लेसमेंट / अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन या भारत सरकार / भारतीय रिजर्व

including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot (including with provision for reservation on firm allotment and/or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be permitted by the law then applicable) by way of an offer document / prospectus or such other document, in India or abroad, such number of equity shares and / or preference shares (whether cumulative or not; convertible into equity shares or not) in accordance with the guidelines framed by RBI from time to time, specifying the class of preference shares, the extent of issue of each class of such preference shares, whether perpetual or redeemable, the terms & conditions subject to which each class of preference shares may be issued and / or other permitted securities which are capable of being converted into equity or not, upto ₹1500 Crore (as decided by the Board or Committee of the Board of the Bank) which together with the existing Paid-up Equity share capital of ₹515.20 Crore will be within ₹3000 Crore, being the ceiling in the Authorised Capital of the Bank as per section 3 (2A) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 or to the extent of enhanced Authorised Capital as per the Amendment (if any), that may be made to the Act in future, in such a way that the Central Government shall at all times hold not less than 52% of the paid-up Equity capital of the Bank, whether at a discount or premium to the market price, in one or more tranches, including to one or more of the members, employees of the Bank, Indian nationals, Non-Resident Indians ("NRIs"), Companies, private or public, investment institutions, Societies, Trusts, Research organisations, Qualified Institutional Buyers ("QIBs") like Foreign Institutional Investors ("FIIs"), Banks, Financial Institutions, Indian Mutual Funds, Venture Capital Funds, Foreign Venture Capital Investors, State Industrial Development Corporations, Insurance Companies, Provident Funds, Pension Funds, Development Financial Institutions or other entities, authorities or any other category of investors which are authorized to invest in equity/preference shares/securities of the Bank as per extant regulations/guidelines or any combination of the above as may be deemed appropriate by the Bank."

"RESOLVED FURTHER THAT such issue, offer or allotment shall be by way of Follow on public issue, rights issue, Private Placement / Qualified Institutional Placement (QIP) or any other mode approved by GOI/RBI, with or



बैंक द्वारा अनुमोदित कोई अन्य प्रक्रिया के जरिए होगा और ऐसा प्रस्ताव, इश्यू, प्लेसमेंट और आबंटन, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 के प्रावधानों, सेबी (पूँजी निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली 2009 (आईसीडीआर विनियमावली) एवं भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी या अन्य किसी यथा लागू प्राधिकरण द्वारा ऐसे समय पर और ऐसे तरीके और ऐसी शर्तों पर किया जाए जो निदेशक मंडल अपने पूरे विवेकाधिकार के तहत उचित समझे। ”

आगे संकल्प लिया जाता है कि जहां आवश्यक हो लीड प्रबंधक और / या हामीदार और अन्य सलाहकार से परामर्श करने के बाद या बोर्ड की ऐसी शर्तों व निबंधनों के अनुसार आई सी डी आर विनियमावली, अन्य नियमावली की शर्तों के अनुसार और अन्य सभी लागू नियम विनियमावली और दिशानिर्देश के अधीन ऐसे निवेशक जो बैंक के विद्यमान सदस्य हो या न हो के लिए अपने संपूर्ण विवेक से मूल्य निर्धारित करने के बारे में निर्णय लेने का अधिकार बोर्ड या इस उद्देश्य के लिए गठित बोर्ड की समिति का होगा जो आई सी डी आर नियमावली की संबद्ध प्रावधानों के अनुसार निर्धारित मूल्य से कम मूल्य न हो। ”

“आगे संकल्प लिया जाता है कि तत्संबंधी स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किए गए सूचीकरण के समझौते के प्रावधानों के अनुसार, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970, केनरा बैंक (शेयर और बैठकें) विनियमावली 2000 के प्रावधानों, आई सी डी आर नियमावली के प्रावधानों, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के प्रावधानों व विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत के बाहर निवास करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण या निर्गम) विनियमावली 2000 के प्रावधानों तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी), स्टॉक एक्सचेंजों, भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.), विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफ आई पी बी), औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य मंत्रालय (डी आई पी पी) एवं इस संबंध में अपेक्षित अन्य सभी प्राधिकारी (जिन्हें इसके बाद से सामूहिक रूप से “समुचित प्राधिकारी” कहा जाएगा) के अपेक्षित अनुमोदन, सहमति, अनुमति और या/ मंजूरी के अधीन एवं इनमें से किसी के भी द्वारा किसी भी ऐसे अनुमोदन, सहमति, अनुमति और / या मंजूरी (जिसे इसके बाद “अपेक्षित अनुमोदन” कहा जाएगा) आदि प्रदान करते समय इनमें से किसी के भी द्वारा इस प्रकार की निर्धारित शर्तों के अधीन बोर्ड अपने संपूर्ण विवेकाधिकार के तहत एक या अधिक अंशों में, समय-समय पर अधिपत्रों को छोड़कर ईक्विटी शेयर या अन्य प्रतिभूतियां जो बाद की तिथि में ईक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय

without over-allotment option and that such offer, issue, placement and allotment be made as per the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (“ICDR Regulations”) and all other guidelines issued by the RBI, SEBI and any other authority as applicable, and at such time or times in such manner and on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, think fit.”

“RESOLVED FURTHER THAT Board shall have the authority to decide, at such price or prices in such manner and where necessary, in consultation with the lead managers and /or underwriters and /or other advisors or otherwise on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, decide in terms of ICDR Regulations, other regulations and any and all other applicable laws, rules, regulations and guidelines, whether or not such investor(s) are existing members of the Bank, at a price not less than the price as determined in accordance with relevant provisions of ICDR Regulations.”

“RESOLVED FURTHER THAT in accordance with the provisions of the Listing Agreements entered into with relevant stock exchanges, the provisions of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the provisions of the Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000, the provisions of ICDR Regulations, the provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2000, and subject to requisite approvals, consents, permissions and/ or sanctions of Securities and Exchange Board of India (SEBI), Stock Exchanges, Reserve Bank of India (RBI), Foreign Investment Promotion Board (FIPB), Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce (DIPP) and all other authorities as may be required (hereinafter collectively referred to as “the Appropriate Authorities”) and subject to such conditions as may be prescribed by any of them while granting any such approval, consent, permission, and/or sanction (hereinafter referred to as “the requisite approvals”) the Board, may at its absolute discretion, issue, offer and allot, from time to time in one or more tranches, equity shares or any securities other than warrants, which are convertible into or exchangeable with equity shares at a



या इसके साथ विनियम योग्य हो, इस प्रकार जारी, प्रस्तुत या आबंटित कर सकता है कि पात्र संस्थागत नियोजन के अनुसरण में जैसा कि आई सी डी आर विनियमावली के अध्याय VIII के तहत व्यवस्था है, स्थान नियोजन दस्तावेज और / या अन्य किसी दस्तावेजों/प्रलेखों/परिपत्रों/ज्ञापनों के माध्यम से और इस तरीके से और इस प्रकार मूल्य, शर्तों और निबंधनों जैसा कि उस समय पर प्रचलित आई सी डी आर विनियमावली या कानूनों के किन्हीं प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया गया हो, पात्र संस्थागत खरीदारों (क्यू आई बी) (जैसा कि आई सी डी आर विनियमावली में परिभाषित है) की तुलना में केंद्र सरकार किसी भी समय बैंक की ईक्विटी पूँजी का 52% से कम धारित न करता हो।”

“आगे संकल्प लिया जाता है कि पात्र संस्थागत स्थान नियोजन के मामले में, आई सी डी आर विनियमावली के अध्याय VIII के अनुसरण में

- क. पात्र संस्थागत खरीदारों को ही प्रतिभूतियों का आबंटन होगा जो आई सी डी आर विनियमावली के अध्याय VIII के आशय के दायरे में होगा और इस प्रकार की प्रतिभूतियाँ पूर्णतः प्रदत्त होंगी और इस संकल्प की तिथि से 12 माह के भीतर इस प्रकार की प्रतिभूतियों का आबंटन पूरा कर लिया जाएगा।
- ख. बैंक आई सी डी आर विनियमावली के विनियम 85(1) के प्रावधानों के अनुसार आधार मूल्य से कम मूल्य पर, जो पाँच प्रतिशत से कम न हो, पर शेयर आबंटित करने के लिए प्राधिकृत है।
- ग. आई सी डी आर विनियमावली के अनुसार प्रतिभूतियों के आधारित मूल्य निर्धारण की संबंधित तिथि होगी।

“आगे संकल्प लिया जाता है कि अपना अनुमोदन, सहमति, अनुमति एवं मंजूरी प्रदान करते समय और निदेशक मंडल द्वारा सहमत हुए अनुसार, भारत सरकार/ भारतीय रिज़र्व बैंक / सेबी / स्टॉक एक्सचेंज जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध है या अन्य समुचित प्राधिकरण द्वारा प्रस्ताव में अपेक्षित या लगाए गए किसी संशोधन को स्वीकार करने का निदेशक मंडल को प्राधिकार होगा।”

“आगे संकल्प लिया जाता है कि अनिवासी भारतीयों / विदेशी निवेशक व्यक्तियों और या अन्य पात्र विदेशी निवेशक को नए ईक्विटी शेयर / अधिमान्य शेयर / प्रतिभूतियों को जारी और आबंटित करना, यदि कोई हो, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन के अधीन होगा जो अधिनियम के तहत निर्धारित समग्र सीमा के अंदर होगा।”

“आगे संकल्प लिया जाता है कि जारी किये जानेवाले उक्त नए ईक्विटी शेयर यथा संशोधित केनरा बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियमावली 2000 के अधीन जारी किये जाएंगे और ये बैंक

later date, in such a way that the Central Government at any time holds not less than 52% of the Equity Capital of the Bank, to Qualified Institutional Buyers (QIBs) (as defined in the ICDR Regulations) pursuant to a qualified institutional placement (QIP), as provided for under Chapter VIII of the ICDR Regulations, through a placement document and / or such other documents / writings / circulars / memoranda and in such manner and on such price, terms and conditions as may be determined by the Board in accordance with the ICDR Regulations or other provisions of the law as may be prevailing at that time”

“RESOLVED FURTHER THAT in case of a qualified institutional placement pursuant to Chapter VIII of the ICDR Regulations

- a) the allotment of Securities shall only be to Qualified Institutional Buyers within the meaning of Chapter VIII of the ICDR Regulations, such Securities shall be fully paid-up and the allotment of such Securities shall be completed within 12 months from the date of this resolution.”
- b) The Bank is, in pursuant to proviso to Regulation 85(1) of ICDR Regulations, authorized to offer shares at a discount of not more than five percent on the floor price.
- c) the relevant date for the determination of the floor price of the securities shall be in accordance with the ICDR Regulations.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI/ RBI/SEBI/Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board.”

“RESOLVED FURTHER THAT the issue and allotment of new equity shares/preference shares/securities if any, to NRIs, FIIs and/or other eligible foreign investors be subject to the approval of the RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 as may be applicable but within the overall limits set forth under the Act.”

“RESOLVED FURTHER THAT the said new equity shares to be issued shall be subject to the Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000, as amended, and shall rank



के मौजूदा इक्विटी शेयरों के साथ सभी दृष्टियों से समान होंगे और घोषणा के समय प्रचलित सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुसार घोषित किये जानेवाले किसी भी लाभांश के लिए पात्र होंगे।”

“आगे संकल्प लिया जाता है कि किसी निर्गम को प्रभावी बनाने के लिए या इक्विटी शेयर /अधिमान शेयर /प्रतिभूतियों को आवंटित करने के लिए सार्वजनिक प्रस्ताव की शर्तें निर्धारित करने हेतु जिसमें निवेशकों का वर्ग जिन्हें प्रतिभूतियां आवंटित की जानी है, प्रत्येक श्रृंखला में आवंटित किए जाने वाले शेयर /प्रतिभूतियों, निर्गम मूल्य, निर्गम पर किस्त की राशि जिन्हें बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत उचित समझे एवं इस प्रकार के कार्य, मामलें और चीजें और ऐसे विलेख, दस्तावेज व करार निष्पादित करने जिसे वे अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत आवश्यक, उचित या वांछित समझें तथा सार्वजनिक प्रस्ताव, निर्गम,आबंटन और निर्गम से प्राप्त आय के उपयोग के संबंध में किसी प्रकार की सवाल, कठिनाई या संदेह जो उत्पन्न होता हो और ऐसे आशोधनों, बदलावों, भिन्नताओं, परिवर्तनों, अपमार्जन, संवर्धन, संबंधी शर्तों को प्रभावी बनाने के लिए जो कि वह अपने पूर्ण विवेकाधिकार के अधीन सर्वाधिक हित में उपयुक्त और समुचित समझे, सदस्यों से आगे बिना अन्य किसी अनुमोदन की अपेक्षा के इस संकल्प के द्वारा बैंक और बोर्ड को प्रदत्त सभी या किसी शक्ति का प्रयोग बोर्ड द्वारा किया जा सकता है।”

“आगे संकल्प लिया जाता है कि बोर्ड को किसी भी लीड प्रबंधकों/बैंकरों/ हामीदारों/ निक्षेपागारों एवं इस प्रकार की सभी एजेंसियों से जो इस प्रकार के इक्विटी/अधिमान शेयरों/ प्रतिभूतियों के प्रस्ताव में शामिल या संबंधित हों, के साथ इस प्रकार के समझौते करने एवं इसके पूर्ण निष्पादन का तथा इस प्रकार की सभी संस्थाओं एवं एजेंसियों को कमीशन, दलाली, शुल्क या अन्य ऐसे द्वारा पारिश्रमिक देने तथा ऐसे एजेंसियों के साथ ऐसे सभी करार, ज्ञापन, दस्तावेज आदि निष्पादित करने के लिए एतद् द्वारा प्राधिकृत किया जाता है।”

“आगे संकल्प लिया जाता है कि उपर्युक्त को प्रभावी बनाने के लिए निदेशक मंडल को, बैंक द्वारा नियुक्त लीड प्रबंधक, हामीदार, सलाहकार और/या अन्य व्यक्तियों के साथ परामर्श करके, जिन निवेशकों को शेयर आवंटित किया जाना है उनके वर्ग, प्रत्येक श्रृंखला में आवंटित किये जानेवाले शेयर, निर्गम मूल्य (यदि कोई हो तो, प्रीमियम सहित), अंकित मूल्य, निर्गम पर किस्त की राशि/प्रतिभूतियों के रूपांतरण/अधिपत्रों का प्रयोग/प्रतिभूतियों का शोधन, ब्याज की दर, शोधन अवधि, इक्विटी शेयर/अधिमान शेयर या प्रतिभूतियों के रूपांतरण या शोधन या निरसन के बाद

in all respects pari passu with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration.”

“RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to any issue or allotment of equity shares/preference shares/securities, the Board be and is hereby authorized to determine the terms of the public offer, including the class of investors to whom the securities are to be allotted, the number of shares/securities to be allotted in each tranche, issue price, premium amount on issue as the Board in its absolute discretion deems fit and do all such acts, deeds, matters and things and execute such deeds, documents and agreements, as they may, in its absolute discretion, deem necessary, proper or desirable, and to settle or give instructions or directions for settling any questions, difficulties or doubts that may arise in regard to the public offer, issue, allotment and utilization of the issue proceeds, and to accept and to give effect to such modifications, changes, variations, alterations, deletions, additions as regards the terms and conditions, as it may, in its absolute discretion, deem fit and proper in the best interest of the Bank, without requiring any further approval of the members and that all or any of the powers conferred on the Bank and the Board vide this resolution may be exercised by the Board.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to enter into and execute all such arrangements with any Book Runner(s), Lead Manager(s), Banker(s), Underwriter(s), Depository(ies), Registrar(s), Auditor(s) and all such agencies as may be involved or concerned in such offering of equity / preference shares/ securities and to remunerate all such institutions and agencies by way of commission, brokerage, fees or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents, etc., with such agencies.”

“RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to the above, the Board, in consultation with the Lead Managers, Underwriters, Advisors and/or other persons as appointed by the Bank, be and is hereby authorized to determine the form and terms of the issue(s), including the class of investors to whom the shares/securities are to be allotted, number of shares/securities to be allotted in each tranche, issue price (including premium, if any), face value, premium amount on issue/conversion of Securities/exercise of warrants/redemption of Securities,



अन्य प्रतिभूतियों, निर्गम का मूल्य, किस्त या बट्टा/प्रतिभूतियों का रूपांतरण, ब्याज की दर, रूपांतरण की अवधि, रिकार्ड तारीख या बही समापन तथा संबंधित मामले, भारत में एक या अनेक स्टॉक पर बट्टा, रिकार्ड तारीख या बही समापन तथा संबंधित मामले, भारत में एक या अनेक स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीकरण सहित निदेशक मंडल अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत जैसा उचित समझे, इश्यू के स्वरूप एवं शर्तों को निर्धारित करने के लिए एतद् द्वारा प्राधिकृत किया जाता है।”

“आगे संकल्प लिया जाता है कि अभिदान न किए गए ऐसे शेयरों/प्रतिभूतियों का, निदेशक मंडल द्वारा अपने संपूर्ण विवेकाधिकार के अधीन ऐसे तरीके से निपटान किया जाएगा, जो वह उचित समझे और विधि द्वारा अनुमत है।”

“आगे संकल्प लिया जाता है कि इस संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए निदेशक मंडल को ऐसे सभी कार्य, मामले और चीजें करने, जिन्हें वे आवश्यक, उचित एवं वांछनीय समझें और ईक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों को जारी करने के संबंध में उत्पन्न होनेवाले किसी भी प्रश्न, कष्ट या शंका का समाधान करने के लिए है और आगे ऐसे सभी कार्य, मामले और चीजें करने तथा ऐसे सभी प्रलेख एवं लिखित को अंतिम रूप देने और निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है, जो शेयरधारकों की अतिरिक्त सहमति अथवा अनुमोदन माँगे बगैर उनके विवेकाधिकार के तहत ज़रूरी, वांछित एवं अनिवार्य समझे अथवा इस आशय से उनको प्राधिकृत किया जाता है कि इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त अनुसार शेयरधारकों ने अपना अनुमोदन दे दिया है, ऐसा माना जाएगा।”

“आगे संकल्प लिया जाता है कि निदेशक मंडल को, उक्त संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए इसके ज़रिए दिये गये सभी या किसी भी अधिकार को बैंक के अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अथवा कार्यपालक निदेशक/कों या निदेशकों की समिति या ऐसे अन्य अधिकारी/(रियों) को प्रत्यायोजित करने के लिए एतद् द्वारा प्राधिकृत किया जाता है।”

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा



प्रद्युमन सिंह रावत
कार्यपालक निदेशक

(प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी-अतिरिक्त प्रभार)

rate of interest, redemption period, number of equity shares/preference shares or other securities upon conversion or redemption or cancellation of the Securities, the price, premium or discount on issue/conversion of Securities, rate of interest, period of conversion, fixing of record date or book closure and related or incidental matters, listings on one or more stock exchanges in India and/or abroad, as the Board in its absolute discretion deems fit.”

“RESOLVED FURTHER THAT such of these shares / securities as are not subscribed may be disposed off by the Board in its absolute discretion in such manner, as the Board may deem fit and as permissible by law.”

“RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deems necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the shares/securities and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent, that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of the Resolution.

“RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred to the Chairman or to the Managing Director & CEO or to the Executive Director/(s) or to Committee of Directors or such other officer(s) to give effect to the aforesaid Resolutions.”

By Order of the Board of Directors



PRADYUMAN SINGH RAWAT
EXECUTIVE DIRECTOR

(Additional Charge as MD & CEO)



टिप्पणियां

1. व्याख्यात्मक वक्तव्य :

प्रदत्त पूंजी जुटाने और निदेशकों के चुनाव के संबंध में नोटिस की मद संख्या 3 के बारे में वास्तविक तथ्यों को दर्शानेवाला व्याख्यात्मक वक्तव्य नीचे दिया गया है।

2. प्रोक्सी की नियुक्ति :

बैठक में भाग लेने व मतदान का अधिकार रखनेवाले शेयरधारक को अपने स्थान पर बैठक में भाग लेने व मतदान करने हेतु प्रोक्सी की नियुक्ति करने का अधिकार है और ऐसा प्रोक्सी बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है। प्रोक्सी फॉर्म के प्रभावी होने के लिए उसे वार्षिक आम बैठक की तारीख की समाप्ति से कम से कम 4 दिन पहले अर्थात् गुरुवार, 09 जुलाई 2015 को या उससे पहले बैंक के प्रधान कार्यालय में जमा / दर्ज किया जाए।

3. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति :

बैंक के शेयरधारक कंपनी या अन्य किसी भी कॉर्पोरेट निकाय के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में बैठक में भाग लेने व मत देने का अधिकार किसी व्यक्ति को केवल तभी होगा जब उसे विधिवत् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करनेवाले संकल्प की प्रति, जिस बैठक में व संकल्प पारित किया गया था उसके अध्यक्ष द्वारा प्रमाणीकृत सत्य प्रतिलिपि के रूप में, बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पहले अर्थात् गुरुवार, 09 जुलाई, 2015 को या वह दिन समाप्त होने से पहले बैंक के प्रधान कार्यालय में जमा करना होगा।

4. पंजीकरण :

बैठक में भाग ले रहे शेयरधारकों की सुविधा के लिए पंजीकरण प्रक्रिया बैठक स्थान में दिनांक 14 जुलाई 2015 को अपराह्न 02.30 बजे से शुरू होगी। शेयरधारकों से अनुरोध है कि पंजीकरण औपचारिकताएं पूरी करने के लिए बैठक में समय से पूर्व उपस्थिति रहें।

5. उपस्थिति पर्ची :

शेयरधारकों की सुविधा के लिए उपस्थिति पर्ची - सह प्रविष्टि पास को इस नोटिस के साथ संलग्न किया गया है। शेयरधारकों / प्रोक्सीधारकों / प्राधिकृत प्रतिनिधियों से

NOTES

1. EXPLANATORY STATEMENT:

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of Item No. 3 of the Notice regarding Raising of Paid up Capital is annexed below.

2. APPOINTMENT OF PROXY:

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF AND SUCH PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK. The Proxy Form in order to be effective must be lodged at the Head Office of the Bank, at least Four days before the date of the Annual General Meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank on Thursday, the 09th July, 2015.

3. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE:

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a company or any other Body Corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the Resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited at the Head Office of the Bank at least four days before the date of the Annual General Meeting, i.e. on or before the closing hours of the Bank on Thursday, the 09th July, 2015.

4. REGISTRATION :

In order to facilitate the shareholders attending the meeting, Registration process will commence from 2.30 p.m. on Tuesday, the 14th July, 2015. at the venue. Shareholders are requested to be present for the meeting well in advance, to complete the Registration formalities.

5. ATTENDANCE SLIP:

For the convenience of the shareholders, attendance slip-cum-entry pass is annexed to this notice. Shareholders / Proxy Holders / Authorised Representatives are requested to fill in, affix their



अनुरोध है कि वे इसे भरें व उसमें उपलब्ध कराए गए स्थान पर अपना हस्ताक्षर करें व उसे उपरोक्त स्थान पर प्रस्तुत करें। शेयरधारकों के प्रोक्सी / प्राधिकृत प्रतिनिधि "प्रोक्सी" या "प्राधिकृत प्रतिनिधि" जैसा भी मामला हो उसका उल्लेख उपस्थिति पर्ची में करें। शेयरधारक / प्रोक्सिधारक / प्राधिकृत प्रतिनिधि नोट करें कि बैठक में प्रवेश, जहाँ आवश्यक हो, सत्यापन / जाँच के अधीन होगा और उन्हें सूचना दी जाती है कि वे अपने साथ पहचान के मान्य सबूत लाएं मसलन – मतदाता पहचान कार्ड / नियोक्ता पहचान कार्ड / पैन कार्ड / पासपोर्ट / ड्राइविंग लाइसेंस आदि। बैठक स्थान में प्रवेश की अनुमति केवल उपस्थिति वैध पर्ची – सह – प्रविष्टि पास के आधार पर दी जायेगी।

6. शेयर अंतरणकर्ता एजेंटों के साथ संपर्क :

भौतिक रूप में शेयर का धारण करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि यदि उनके पंजीकृत पते में कोई परिवर्तन हो तो वे उसकी सूचना बैंक के शेयर अंतरणकर्ता एजेंट को निम्नांकित पते पर दें।

कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड

यूनिट : केनरा बैंक

कार्वी सेलीनियम टावर बी, प्लॉट संख्या 31-32,

गाचीबोवली, नानकरामगुडा वितीय जिला,

हैदराबाद- 500 032

आगे, शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि वे अपना ई-मेल पता शेयर अंतरणकर्ता एजेंट (उपर्युक्त पते पर) या बैंक को hosecretarial@canarabank.com पर सूचित / पंजीकृत करें।

विभौतिक रूप में शेयर का धारण करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि केवल अपने निक्षेपागार प्रतिभागियों को उपर्युक्त परिवर्तन सूचित करें।

7. बहियों को बंद करना :

बैंक के शेयरधारकों का रजिस्टर तथा शेयर अंतरण बहियों को वार्षिक सामान्य बैठक तथा बैंक द्वारा घोषित चुनाव में भाग लेने एवं लाभांश की प्राप्ति के हकदार शेयरधारकों का निर्धारण करने हेतु शनिवार, 27 जून 2015 से 14 जुलाई 2015, मंगलवार तक (दोनों दिन सहित) बंद रखा जाएगा।

signatures at the space provided therein, and surrender the same at the venue. Proxy/Authorised Representative of a shareholder should state on the attendance slip as 'Proxy' or 'Authorised Representative' as the case may be. Shareholders / Proxy holders / Authorised Representatives may note that the admission to the meeting will be subject to verification / checks, as may be deemed necessary and they are advised to carry valid proof of identity viz., Voters ID Card / Employer Identity Card / Pan Card / Passport / Driving license etc. Entry to the venue will be permitted only on the basis of valid Attendance Slip-cum-Entry Pass.

6. COMMUNICATION WITH THE SHARE TRANSFER AGENTS:

Shareholders holding shares in physical form are requested to intimate changes, if any, in their Registered Addresses, to the Share Transfer Agents of the Bank at the following address:

Karvy Computershare Pvt. Ltd

Unit : Canara Bank

Karvy Selenium Tower B, Plot No. 31-32

Gachibowli, Financial District, Nanakramguda

HYDERABAD – 500 032

Further, the shareholders are advised to inform/register their e-mail IDs either to the Share Transfer Agents (at the above address) or to the Bank at hosecretarial@canarabank.com.

Shareholders holding shares in dematerialised form are requested to intimate the aforesaid changes / e-mail IDs only to their depository participants.

7. CLOSURE OF BOOKS:

The Register of shareholders and the share transfer books of the Bank will remain closed from Saturday, the 27th June, 2015 to the Tuesday, the 14th July, 2015 (both days inclusive) in connection with the Annual General Meeting and for the purpose of ascertaining shareholders entitled to receive the dividend, declared by the Bank.



8. लाभांश का भुगतान:

बोर्ड ने वर्ष 2014-15 के लिए ₹10.50 प्रति इक्विटी शेयर (105%) के लाभांश की अनुशंसा की है। उन शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान करने का निर्णय लिया गया है जिनके नाम शेयरधारकों के रजिस्टर या यथा शुक्रवार, 26 जून 2015 (अभिलेख तिथि) को एनएसडीएल / सीडीएसएल द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुत लाभार्थी स्वामी रजिस्टर में हैं और उसे वार्षिक आम बैठक की तारीख से 30 दिनों के भीतर भेजा/ लाभांश राशि को जमा किया जाएगा।

9. फोलियो का समेकन:

उन शेयरधारकों से, जो नाम के समरूपी क्रम में एक से अधिक खातों में शेयर रखते हैं, अनुरोध है कि मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड को उन खातों की खाता बही के बारे में सूचित करें, साथ में शेयर प्रमाणपत्र भी दें ताकि बैंक द्वारा सभी धारण का एक खाते में समेकन किया जा सके। आवश्यक पृष्ठांकन करने के बाद सदस्यों को यथासमय शेयर प्रमाणपत्र वापस किए जाएंगे।

10. अदावी लाभांश, यदि कोई हो तो

जिन शेयरधारकों ने अपने लाभांश वारंटों का नकदीकरण नहीं किया है / पिछली अवधियों यानि वर्ष 2007-08 से 2013-14 (अंतिम) का लाभांश प्राप्त नहीं किया है उनसे अनुरोध है कि वे पूनर्मूल्यांकन / डुप्लिकेट लाभांश वारंट जारी करने के संबंध में बैंक के शेयर अंतरण एजेंट से संपर्क करें।

बैंक ने शेयर अंतरणकर्ता एजेंट / या बैंक के साथ hosecretarial@canarabank.com में दावे करने हेतु शेयरधारकों को सक्षम बनाने के लिए अदावी / अप्रदत्त लाभांश वारंट संबंधी विवरण इनके वेबसाइट www.canarabank.com में पोस्ट किया है।

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 में अंतर्विष्ट धारा 10बी के अनुसार सात साल से भुगतान न किये गये या दावा न किये गये लाभांश की रकम को कंपनी अधिनियम, 1956/2013 की धारा 205सी/125 के अंतर्गत स्थापित निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। बैंक वर्ष 2007-08 से दावा न किए गए / अप्रदत्त लाभांशों के दिनांक 18 जुलाई 2015 तक अंतरण करने की प्रक्रिया में है।

8. PAYMENT OF DIVIDEND:

The Board has recommended a Dividend of ₹ 10.50 per equity share (105%) for the year 2014-15. It has been decided to pay the dividend to the Shareholders whose names appear on the Register of Shareholders / Beneficial owners as furnished by NSDL/CDSL as on Friday, the 26th June, 2015 (Record Date) and the Dividend Warrants shall be dispatched/ Dividend amount credited within 30 days from the date of the Annual General Meeting.

9. CONSOLIDATION OF FOLIOS:

The shareholders who are holding shares in identical order of names in more than one account are requested to intimate M/s Karvy Computershare Pvt. Ltd, the ledger folio of such accounts together with the share certificates to enable the Bank to consolidate all the holdings into one account. The share certificates will be returned to the Shareholders after making necessary endorsement in due course.

10. UNCLAIMED DIVIDEND, IF ANY

The shareholders who have not encashed their Dividend Warrants / received dividend of previous periods i.e., for the years from 2007-08 to 2013-14 (Final), are requested to contact the Share Transfer Agent of the Bank for revalidation / issue of duplicate dividend warrants.

The Bank has posted the details of the Unclaimed / Unpaid Dividend Warrants on its site i.e., www.canarabank.com to enable the shareholders to claim by contacting with the Share Transfer Agent / or with the Bank at hosecretarial@canarabank.com.

As per Section 10B of the Banking Companies (Acquisitions and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the amount of dividend remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years is required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established by the Central Govt. under section 205C/125 of the Companies Act, 1956/2013. The Bank is in the process of transferring the Unclaimed / Unpaid Dividend amount for the year 2007-08 to the said fund on 18th July, 2015.



11. वार्षिक रिपोर्ट :

शेयरधारक / प्रतिनिधित्वधारक / प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे वार्षिक आम बैठक में आते समय वार्षिक रिपोर्ट की अपनी प्रतियां ले आएँ। कृपया नोट करें कि वार्षिक रिपोर्ट की पूर्ण प्रति बैंक के वेबसाइट (www.canarabank.com) पर अपलोड की गई है। शेयरधारक उसका पठनीय संस्करण वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं।

12. शेयरधारकों का मतदान अधिकार :

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 3(2ई) के प्रावधानों के अनुसार, बैंक के किसी भी शेयरधारक, सिवाय केंद्र सरकार के, अपने पास स्थित बैंक के समग्र शेयरधारकों के कुल मतदान अधिकार के दस प्रतिशत से अधिक शेयरों के संबंध में मतदान अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है।

13. ई-वोटिंग :

बैंक को प्रसन्नता है कि वह बैंक के शेयरधारकों को नोटिस में दिए गए मर्दानों पर अपना मतदान इलेक्ट्रॉनिक रूप से करने में सक्षम बनाने के लिए ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध करा रहा है। ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने के संबंध में सभी शेयरधारकों को एक अलग संसूचना/नोटिस भेजा जा रहा है।

14. बैठक में मतदान :

कार्यसूची के सभी मर्दानों पर चर्चा होने के बाद अध्यक्ष सभी मर्दानों के लिए मतदान करने का आदेश देंगे। इस उद्देश्य के लिए नियुक्त किए गए जाँचकर्ताओं द्वारा मतदान का आयोजन व पर्यवेक्षण किया जाएगा। मतदान के नतीजों के बाद अध्यक्ष बैठक को समाप्त घोषित करेंगे। ई-वोटिंग के नतीजों के साथ मतदान के नतीजों की घोषणा बैंक द्वारा उसकी वेबसाइट पर की जाएगी तथा स्टॉक एक्सचेंजों को भी सूचित किया जाएगा।

नोटिस की मद संख्या 3 में उल्लिखित कारोबार के संबंध में व्याख्यात्मक वक्तव्य

1. बैंक की चालू इक्विटी पूंजी ₹515.20 करोड़ है तथा यथा 31 मार्च 2015 को बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात 10.56% है और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित 9% की तुलना में काफी अच्छी है। तथापि विस्तार करने की बैंक की कुछ योजनाओं और बासेल III मानदंडों का कार्यान्वयन और परिणामस्वरूप पूंजी प्रभार के आलोक में पूंजी पर्याप्तता अनुपात को और भी बढ़ाने की ज़रूरत है।

11. ANNUAL REPORT:

Shareholders / Proxy holders / Authorized Representatives are requested to bring their copies of the Annual Report to the Annual General Meeting. Please note that the full copy of the Annual Report is uploaded on the website of the Bank (www.canarabank.com). Shareholders may download the readable version of the same from the website.

12. VOTING RIGHTS OF SHAREHOLDERS:

In terms of the provisions of Section 3 (2E) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder of the Bank, other than the Central Government shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him / her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

13. e-VOTING:

The Bank is pleased to provide e-Voting facility to the shareholders of the Bank to enable them to cast their votes electronically on the items mentioned in the notice. A separate communication / Notice is being sent to all the shareholders to enable them to cast their votes through e-Voting.

14. POLL AT THE MEETING:

After all the agenda items have been discussed, the Chairman will order Poll in respect of all the items. Poll will be conducted and supervised under Scrutinizers to be appointed for the purpose. After conclusion of the Poll, the Chairman may declare the meeting as closed. The Results of the Poll aggregated with the Results of e-Voting will be announced by the Bank on its Website and also informed to the Stock Exchanges.

EXPLANATORY STATEMENT IN RESPECT OF THE BUSINESS MENTIONED AGAINST ITEM NO. 3 OF THE NOTICE:

1. The current Equity Capital of the Bank is ₹515.20 Crore and the Capital Adequacy Ratio of the Bank as on March 31, 2015 is 10.56 %, which is well above the 9% stipulated by the Reserve Bank of India. However, in view of certain expansion plans of the Bank, the implementation of BASEL III norms and consequent capital charge, there is a need to increase the capital to further strengthen the Capital Adequacy Ratio.



2. अनुमानित वृद्धि के आधार पर हमारे निदेशकों ने पूंजी बढ़ाने और बैंक के सामान्य कारोबार उद्देश्यों के लिए पूंजी का इस्तेमाल किए जाने का निर्णय लिया है।
3. बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 3 (2बी) (सी) के अनुसार चुकता पूंजी बढ़ाने के लिए भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, भारतीय रिज़र्व बैंक से अपेक्षित पूर्वानुमान प्राप्त करेगा।
4. सूचीकरण करारनामे की धारा २३ की उप धारा (क) में प्रावधान है कि बैंक द्वारा आगे जब कभी कोई प्रस्ताव या निर्गम किया जाता है, यदि शेयरधारक सामान्य बैठक में अन्यथा निर्णय न लें, उसे यथानुपात मौजूदा शेयरधारकों को उपलब्ध कराया जाए। उक्त संकल्प यदि पारित हो जाता है तो बैंक की ओर से निदेशक मंडल को मौजूदा शेयरधारकों को यथानुपात आधार पर निर्गम के अलावा भी प्रतिभूति जारी और आबंटित करने दिया जाएगा।
5. यह संकल्प, सार्वजनिक निर्गम, साधिकार निर्गम, कर्मचारी स्टॉक क्रय योजना (ईएसपीएस) या भारत सरकार / भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित कोई अन्य प्रक्रिया द्वारा ईक्विटी शेयर / अधिमान शेयर / प्रतिभूतियाँ प्रदान करने, जारी करने एवं आबंटित करने के लिए बैंक को समर्थ बनाएगा। इश्यू की आगम राशि से बैंक समय समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसार पूंजी पर्याप्तता संबंधी अपनी अपेक्षाओं को पूरा कर पाएगा।
6. यह संकल्प, आई सी डी आर विनियमावली में पारिभाषित अनुसार अर्ह संस्थागत खरीदारों के यहाँ अर्ह संस्थागत प्लेसमेंट करने के लिए निदेशक मंडल को अधिकार देता है। निदेशक मंडल अपने विवेकाधिकार के अधीन शेयरधारकों से नये अनुमोदन प्राप्त किये बगैर बैंक के लिए निधियाँ जुटाने हेतु आई सी डी आर विनियमावली के अध्याय VIII में निर्धारित तंत्र को भी अपना सकता है।

आई सी डी आर विनियम के अध्याय VIII के अनुसार क्यू आई पी आधार पर प्रतिभूतियों का निर्गमन "संबद्ध तिथि" के पूर्ववर्ती दो हफ्तों के दौरान स्टॉक एक्सचेंज में उद्धृत शहरों के साप्ताहिक उच्च और निम्न औसत दरों से कम नहीं होने वाली दर पर किया जा सकता है। "संबद्ध तिथि" से तात्पर्य पी ओ आई पी निर्गम पर बोर्ड या समिति की बैठक आयोजित तिथि होगी।
7. अर्ह संस्थागत खरीदारों ("क्यू आई बी") के साथ अर्ह संस्थागत नियोजकों (क्यूआईपी) सहित विभिन्न विकल्पों के तहत पूंजी जुटाने के लिए बैंक की 12वीं वार्षिक सामान्य बैठक में सामान्य सभा का अनुमोदन प्राप्त किया गया। दिशनिर्देशों के अनुसार ऐसे
2. Based on the growth estimates your Directors have decided to raise capital and the enhanced capital will be utilized for the general business purposes of the Bank.
3. The Bank in terms of Section 3(2B)(c) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1970, will obtain requisite approval of Government of India, Ministry of Finance and Reserve Bank of India for increasing the paid up capital of the Bank.
4. Sub-Clause (a) of Clause 23 of Listing Agreement provides that whenever any further issue or offer is being made by the Bank, the existing shareholders should be offered the same on pro rata basis unless the shareholders in the general meeting decide otherwise. The said resolution, if passed, shall have the effect of allowing the Board on behalf of the Bank to issue and allot the securities otherwise than on pro-rata basis to the existing shareholders.
5. The Resolution seeks to enable the Bank to create, offer, issue and allot equity shares/preference shares/securities by way of Follow on Public offer, Rights Issue, or any other mode approved by GOI/RBI. The issue proceeds will enable the Bank to strengthen its Capital Adequacy Requirements as specified by RBI from time to time.
6. The Resolution further seeks to empower the Board of Directors to undertake a qualified institutional placement with qualified institutional buyers as defined by ICDR Regulations. The Board of Directors may in their discretion adopt this mechanism as prescribed under Chapter VIII of the ICDR Regulations for raising funds for the Bank, without seeking fresh approval from the shareholders.

In case of a QIP issue in terms of Chapter VIII of ICDR Regulations, issue of securities, on QIP basis, can be made at a price not less than the average of the weekly high and low of the closing prices of the shares quoted on a stock exchange during the two weeks preceding the "Relevant Date". "Relevant Date" shall mean the date of the meeting in which the Board or Committee of the Bank decides to open the QIP Issue.
7. The approval of the General Body at the 12th Annual General Meeting of the bank for raising capital under various options including QIPs with QIBs was obtained. As per the guidelines, the validity of the resolutions is restricted to one year for such QIPs.



अर्ह संस्थागत नियोजकों (क्यूआईपी) के लिए संकल्पों की वैधता एक वर्ष तक सीमित रहेगी। भावी आवश्यकताओं के मद्देनजर (उक्त पैरा 1 में वर्णितानुसार), सामान्य बैठक का अनुमोदन दुबारा मांगा जाता है।

8. प्रस्ताव की विस्तृत शर्तों को सलाहकार, लीड प्रबंधक और हामीदार एवं ऐसे अपेक्षित अन्य प्राधिकारी अथवा प्राधिकारियों के साथ परामर्श करके बाजार की प्रचलित स्थिति एवं अन्य विनियामक अपेक्षाओं पर विचार करते हुए निर्धारित किया जाएगा।
9. चूंकि प्रस्ताव का मूल्यनिर्धारण बाद में कभी भी किया जा सकता है, जारी किये जानेवाले शेयर का मूल्य बताना संभव नहीं है। किंतु वह, समय-समय पर यथा सशोधित आई सी डी आर विनियमावली, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन व अंतरण) अधिनियम 1970 और केनरा बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियमावली 2000 अथवा अन्य किसी दिशानिर्देशों / विनियमों / सहमति के प्रावधानों के अनुसार होगा जोकि लागू हो अथवा अपेक्षित हो।
10. उक्त कारणों से, इश्यू की शर्तों को अंतिम रूप देने के लिए निदेशक मंडल को पर्याप्त लचीलापन एवं निर्णयाधिकार प्रदान करने के लिए समर्थ बनाने हेतु एक संकल्प पारित करने का प्रस्ताव किया जाता है।
11. जारी किये गये ईक्विटी शेयर सभी दृष्टियों से बैंक के मौजूदा ईक्विटी शेयरों के समतुल्य होंगे।

इसके लिए बैंक को विशेष संकल्प के रूप में शेयरधारकों की सहमति प्राप्त करनी होती है। अतः उपर्युक्त प्रस्ताव के लिए आपकी सहमति के लिए अनुरोध किया जाता है।

निदेशक मंडल नोटिस में उक्तानुसार विशेष संकल्पों को परित करने के लिए सिफारिश करता है।

बैंक के किसी भी निदेशक का उपरोक्त संकल्प में कोई हित या संबंध नहीं है, सिवाय बैंक में उनके शेयरधारण की हद तक, यदि कोई है तो।

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा

प्रद्युमन सिंह रावत
कार्यपालक निदेशक
(प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी-अतिरिक्त प्रभार)

Keeping in view the future requirements (as denoted in para 1 above), the approval of the General Body is sought once again.

8. The detailed terms and conditions for the offer will be determined in consultation with the Advisors, Lead Managers and Underwriters and such other authority or authorities as may be required, considering the prevailing market conditions and other regulatory requirements.
9. As the pricing of the offering cannot be decided except at a later stage, it is not possible to state the price of shares to be issued. However, the same would be in accordance with the provisions of the ICDR Regulations, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and the Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000 as amended from time to time or any other guidelines/regulations/consents as may be applicable or required.
10. For reasons aforesaid, an enabling resolution is therefore proposed to be passed to give adequate flexibility and discretion to the Board to finalise the terms of the issue.
11. The equity shares allotted, shall rank pari passu in all respects with the existing equity shares of the Bank.

For this purpose the Bank is required to obtain the consent of the shareholders by means of a special resolution. Hence your consent is requested for the above proposal.

The Board of Directors recommends passing of the Special Resolutions as mentioned in the notice.

None of the Directors of the Bank is interested or concerned in the aforementioned Resolution(s), except to the extent of their shareholding, if any in the Bank.

By Order of the Board of Directors

PRADYUMAN SINGH RAWAT
EXECUTIVE DIRECTOR
(Additional Charge as MD & CEO)